वशिष-12001/3/2023-व_स_को-DOLRS

I/87254/2023 दिनांक–26.10.2023 (गुरूवार) को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलो के कार्य प्रगति की जूम के माध्यम से की गई साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक–26.10.2023 (गुरूवार) को निदेशक , भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं जिलों के नोडल पदाधिकारी के साथ विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ जिलो के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत् है–

1. बैठक में सर्वप्रथम जिलावार 2500 खेसरो से कम खेसरो वाले ग्रामों में वर्तमान प्रगति एवं सितम्बर प्रथम सप्ताह तथा अक्टूबर प्रथम सप्ताह के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य की समीक्षा की गई। जिलावार प्रक्रमवार स्थिति निम्नवत पाई गई.

2500 खेसरा तक राजस्व ग्रामों की जिलावार प्रगति — 26-10-2023

SL. NO.	District	Mauza	प्रारूप प्रकाशन		खानापुरी		प्रपत्र 6 इंट्री		एल०पी०एम० लंबित	एल०पी०एम० वितरण के पश्चात् सुनवाई वाले राजस्व ग्राम		विश्राति के लिए लंबित राजस्व ग्राम		Map Updation के लिए लंबित राजस्व ग्राम	
			सितम्बर चतुर्थ सप्ताह	अक्टूबर चतुर्थ सप्ताह	सितम्बर चतुर्थ सप्ताह	अक्टूबर चतुर्थ सप्ताह	सितम्बर चतुर्थ सप्ताह	अक्टूबर चतुर्थ सप्ताह	अक्टूबर चतुर्थ सप्ताह	सितम्बर चतुर्थ सप्ताह	अक्टूबर चतुर्थ सप्ताह	सितम्बर चतुर्थ सप्ताह	अक्टूबर चतुर्थ सप्ताह	सितम्बर चतुर्थ सप्ताह	अक्टूबर चतुर्थ सप्ताह
			1	2	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16
1	ARARIA	79	63	72	0	0	0	0	0	7	2	0	0	7	4
2	ARWAL	166	49	59	0	0	16	8	8	54	38	0	32	37	21
3	BANKA	168	112	120	0	0	2	0	1	42	25	5	19	0	4
4	BEGUSARAI	299	218	234	13	8	11	13	4	19	18	9	0	7	7
5	JAMUI	69	35	40	0	0	2	2	1	21	9	9	17	0	0
6	JEHANABAD	159	82	103	0	0	6	0	13	42	22	0	13	17	8
7	KATIHAR	116	72	78	0	0	0	0	0	34	16	0	3	10	19
8	KHAGARIA	78	29	33	1	1	8	5	5	38	28	1	3	0	2
9	KISHANGANJ	284	64	67	75	70	68	61	32	54	51	2	3	1	0
10	LAKHISARAI	243	121	148	4	2	22	2	18	19	48	16	23	24	1
11	MADHEPURA	61	43	44	0	0	3	1	2	12	8	3	4	0	2
12	MUNGER	264	182	198	1	1	5	2	3	50	39	0	0	18	21
13	NALANDA	211	175	192	0	0	0	0	0	6	0	11	10	15	5
14	PURNIA	53	42	47	0	0	0	0	0	11	0	0	2	0	6
15	SAHARSA	42	22	26	0	0	7	6	0	7	6	3	2	3	2
16	SHEIKHPURA	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SHEOHAR	29	24	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
18	SITAMARHI	90	42	51	0	0	0	0	0	43	35	4	1	1	3
19	SUPAUL	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	W. CHAMPARAN	153	117	124	0	0	5	3	12	12	7	0	3	6	4
Total:-		2800	1728	1901	94	82	155	103	99	471	352	63	135	151	109

1. जिलावार 2500 से 5000 तक खेसरो से कम खेसरो वाले ग्रामों में वर्तमान प्रगति कार्य की समीक्षा की गई। जिलावार प्रक्रमवार स्थिति निम्नवत पाई गई-

2500 से 5000 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति												दिनांक- 26.10.2023
क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	खानापुरी			प्रपत्र . 6 इंट्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल0पी0 एम0		सुनवाई		अभ्युक्तिध
				वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र 6 इन्ट्री शुरू नहीं हुआ है।		एल0पी0एम0 लंबित	एल0पी0एम0 वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	
1	अररिया	32	1	0	6	0	16	0	0	6	3	4 नक्शा लंबित
2	अरवल	88	0	0	38	0	34	3	0	10	3	
3	बांका	57	4	1	28	3	7	1	0	10	3	
4	बेगूसराय	65	0	9	39	1	4	9	3	2	1	
5	जमुई	30	0	0	10	2	7	3	0	7	1	
6	जहानाबाद	56	0	0	14	4	22	7	0	8	1	
7	कटिहार	34	0	0	0	0	4	6	0	24	0	
8	खगडिया	45	0	0	23	0	17	0	0	5	0	
9	किशनगंज	98	0	62	28	6	2	0	0	0	0	
10	लखीसराय	86	0	0	58	0	22	3	3	0	0	
11	मधेपुरा	15	0	0	5	3	6	2	1	1	0	
12	मुंगेर	33	2	0	1	1	15	4	0	8	0	
13	नालंदा	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02 राजस्व ग्राम सी0एस0 मानचित्र अनुपलब्ध
14	पूर्णियाँ	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
15	सहरसा	44	0	8	14	2	8	0	0	10	2	
16	शेखपुरा	64	49	0	0	0	3	0	0	5	7	
17	शिवहर	29	1	0	6	1	3	2	1	9	2	
18	सीतामढी	106	0	35	18	10	23	2	0	18	0	
19	सुपौल	64	23	13	5	0	7	0	0	11	5	
20	प0 चम्पारण	63	2	7	14	12	15	9	4	0	0	
	कुल	**1117**	**82**	**135**	**307**	**45**	**221**	**51**	**12**	**134**	**28**	

समीक्षात्मक बैठक में विगत एक सप्ताह में हुई जिलास्तरीय प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया कि प्रक्रमवार किए जा रहे कार्यों विशेषतः खानापुरी एवं सुनवाई प्रक्रम में कार्यों के निष्पादन में तेजी लाये जाने की आवश्यकता है। जिलास्तरीय प्रगति के आलोक में प्राप्त प्रतिवेदन और समीक्षोपरान्त दिए गए निदेश निम्नवत् है-

1. अररिया द्वारा बताया गया कि 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में सिर्फ 6 ग्रामों का प्रपत्र-12 प्रकाशित लंबित है, जिसे आगामी सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा । निदेशित किया गया कि 2500 से 5000 खेसरों वाले 16 राजस्व ग्रामों में प्रपत्र-6 की इन्ट्री कार्य में तेजी लाई जाए एवं दिसम्बर, 2023 तक 5000 खेसरा तक वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रपत्र-12 का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।
2. अरवल की समीक्षा में पाया गया कि सुनवाई प्रक्रम में 38 तथा विश्रांति में 32 राजस्व ग्राम लंबित हैं। समीक्षा में यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रतिदिन 35-40 से ज्यादा की प्रविष्टि प्रपत्र-6 में नहीं की जा रही है, जबकि सुनवाई में भी वादों का निष्पादन तेजी से नहीं किया जा रहा है। प्रतिवेदित किया गया कि 2500 से 5000 वाले सभी राजस्व ग्रामों में नवम्बर, 2023 में खानापुरी पूर्ण हो जाएगी।

   निदेशित किया गया कि कर्मियों द्वारा प्रक्रमवार किए जाने वाले कार्यों में ससमय कार्य पूर्ण करने के लिए निदेशालय के पत्रांक-5966 दिनांक-25-07-2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विश्रांति में लंबित कार्यों के लिए जिला स्तर से अनुश्रवण कर समय-सीमा निश्चित कर कार्य को पूर्ण किया जाए एवं 2500-5000 खेसरा वाले राजस्व ग्रामों में प्रपत्र-6 की प्रविष्टि को 10 नवम्बर तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।
3. बांका की समीक्षा में 19 ग्राम विश्रांति प्रक्रम में पाए गए। प्रतिवेदित किया गया कि ये सभी विगत 1-2 दिनों में विश्रांति प्रक्रम में आए हैं, साथ ही यह भी बताया गया कि सुनवाई पूर्ण हो जाएगी।

   निदेशित किया गया कि जिला स्तर से समय-सीमा निर्धारित कर विश्रांति के कार्य को पूर्ण किया जाए। एवं 2500-5000 खेसरा वाले सभी राजस्व ग्रामों में नवम्बर में खानापुरी का कार्य पूर्ण किया जाए।
4. बेगूसराय का समीक्षा में प्रतिवेदित किया गया कि 2500 खेसरों तक वाले 13 राजस्व ग्रामों में लंबित कार्य को आगामी सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा एवं सुनवाई वाले 18 राजस्व ग्रामों में 15 दिनों में सुनवाई पूर्ण कर ली जाएगी। समीक्षा में पाया गया कि 2500-5000 खेसरा वाले 39 राजस्व ग्रामों में खानापुरी चल रही है।

निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत वैसे ग्रामों की समीक्षा की जाए जहां 01 वर्ष या उससे अधिक समय से खानापुरी की जा रही है एवं संलग्न कर्मियों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाए कि वर्तमान राजस्व ग्राम के अतिरिक्त किन राजस्व ग्रामों में उसके द्वारा कार्य किया गया है, यदि पूर्व से संबंधित ग्राम में खेसरों की संख्या 500 के अन्दर थी और वर्तमान में प्रतिवेदित ग्राम में एक वर्ष से अधिक से खानापुरी की जा रही है तो ऐसे कर्मियों की संविदा समाप्ति का प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

5. जमुई एवं जहानाबाद की प्रगति में जहानाबाद की प्रगति के सम्बन्ध में असंतोष प्रकट किया गया। 2500 खेसरा तक वाले ग्रामों में जमुई में 17 तथा जहानाबाद में 13 ग्रामों में विश्रांति में लंबित ग्रामों के संबंध बताया गया कि जमुई में एक शिविर प्रभारी द्वारा तीन शिविरों का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण विलंब हो रहा है। जहानाबाद में 2500-5000 वाले ग्रामों में प्रपत्र-6 की इन्ट्री नहीं की जा रही है।

निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के कार्य को मिशन मोड में किया जाए। चूंकि विशेष सर्वेक्षण का कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है एवं पूर्व से ही बन्दोबस्त कार्य की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक है। अत इसे सामान्य कार्यें से भिन्न करते हुए कार्यालय अवधि के बाद एवं अवकाश के दिनों में किए जाने की आवश्यकता है।

6. कटिहार एवं खगडिया में सुनवाई प्रक्रम में क्रमशः 16 और 28 ग्राम लंबित पाए गए। समीक्षा में पाया गया कि कटिहार में लगभग सभी ग्रामों में दावा, आपतियों की संख्या 100 से कम तथा खगडिया में 200 से कम ही है। खगडिया में अनेक ग्रामों में विगत कराया गया कि निदेशालय स्तर से विडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई सम्बन्धी कार्य के अनुश्रवण में खगडिया के किसी भी शिविर में 11 बजे पूर्वा0 तक कोई भी कर्मी सुनवाई कार्य करते हुए नहीं पाए गए, जबकि लगभग प्रत्येक समीक्षात्मक बैठक में 10 पूर्वा0 से निश्चित रूप से सुनवाई कार्य को आरंभ किए जाने का निदेश है। खगडिया के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रपत्र-12 के प्रकाशन पश्चात होने वाली सुनवाई प्रक्रिया में शिविर प्रभारी द्वारा अनावश्वक रूप से अमीनों को सम्बद्ध किया जाता है, जिस कारण अमीनों द्वारा दूसरे ग्रामों में किए जा रहे कार्यो की गति प्रभावित होती है।

निदेशित किया गया कि सुनवाई प्रक्रिया का सघन अनुश्रवण करते हुए 15 नवम्बर तक 2500 खेसरा तक वाले सभी ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए। वैसे शिविर प्रभारियों जिनके द्वारा अमीनों का अनावश्यक रूप से सम्बद्ध का स्पष्ट रूप से चिन्हित कर कारण-पृच्छा कर प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में कार्रवाई का प्रस्ताव दिया जाए।

7. किशनगंज की समीक्षा में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आगामी साप्ताहिक बैठक तक खानापुरी के लिए लंबित 70 ग्राम तथा प्रपत्र-6 की इन्ट्री हेतु 61 लंबित ग्रामों में लगभग 50 प्रतिशत ग्रामों में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। किशनगंज द्वारा बैठक में प्रर्दशित आंकडों में विरोधाभाष से सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को अवगत कराया गया।

निदेशित किया गया कि बैठक में आगामी प्रगति के सम्बन्ध में दिए आश्वासन के अनुरूप प्रत्येक दशा में प्रगति सुनिश्चित की जाए और जिन कर्मियों द्वारा कार्य में लापरवाही की जा रही है, उनके विरूद्ध स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

8. नालंदा, मधेपुरा एवं सहरसा में सुनवाई एवं विश्रांति की समीक्षा में प्रतिवेदित किया गया कि नालंदा में दिनांक-31.10.2023 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मधेपुरा में 8 एवं सहरसा में 06 ग्रामों में चल रही सुनवाई के बारे में प्रतिवेदित किया गया कि एक पक्ष के अन्दर सभी ग्रामों में सुनवाई पूर्ण हो जाएगी एवं 15 नवंबर, 2023 तक 2500 खेसरे तक वाले ग्रामों का प्रारूप अधिकर अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा।

निदेशित किया गया कि सुनवाई एवं विश्रांति के कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए।

9. पूर्णिया, शेखपुरा, सुपौल एवं शिवहर पूर्णिया की समीक्षा में पूर्णिया द्वारा बताया गया कि 01 ग्राम को छोडकर 2500 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्राम का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो जाएगा। शिवहर की समीक्षा में 2500 खेसरा तक वाले शेष 5 ग्राम का मानचित्र एजेंसी के पास लंबित है।

निदेशित किया गया कि 2500 से 5000 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों के कार्यों में तेजी लाई जाए और दिसम्बर, 2023 के अन्त तक 5000 खेसरा तक वाले सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।

अंत में निदेशित किया गया कि शिविरवार प्रपत्र-6 के इन्ट्री की दैनिक समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक अमीन एक सप्ताह में कम-से-कम 500 खेसरा की प्रपत्र-6 में प्रविष्टि करते हैं, उनके मानदेय कटौती का प्रस्ताव दिया जाए। साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन में एल0पी0एम0 लंबित ग्राम के स्थान पर प्रपत्र-7 वितरित राजस्व ग्राम अंकित किया जाए। साथ ही जिला स्तर से शिविरवार कार्यरत कर्मियों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कर्मी द्वारा प्रत्येक कार्य-दिवस में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया के लिए निर्धारित प्रक्रम के अनुरूप कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं। यदि शिविर प्रभारी अथवा कानूनगो द्वारा किसी भी विशेष सर्वेक्षण अमीन को सुनवाई अथवा अन्य किसी कार्य में संलग्न कर अमीन के कार्य-दिवस की क्षति की जाती है तो शिविर प्रभारी /कानूनगो को स्पष्टीकरण कर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Signed by Jai Singh
Date: 06-11-2023 10:16:41

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

1. प्रतिलिपि: समाहर्त्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज/बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया/अरवल / बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/ शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि: भूमि सुधार उप समाहर्त्ता -सह-प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु०), किशनगंज/अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर /नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि: हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, **ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solution Limited (IL&FS)), GISC, IIC** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी /संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई०टी० सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रतिलिपि: सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रतिलिपि: माननीय मंत्री , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।